

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा दमोह

क्रमांक ²⁴⁸ / भू.अभि. / स0अ0भू03 / 2019

दमोह, दिनांक 24/02/2019

जिले में ई.टी.एस. मशीन से सीमांकन के संबंध में दिनांक 13.02.2019 को निविदा जारी की गई थी जिसके संबंध में निम्न स्पष्टीकरण बिन्दुवार रूप में नीचे दर्शाये गये हैं:-

1. निविदा के सेक्शन 3 कंडिका 24.4.9 के अनुसार यदि कोई बिडर 50 प्रतिशत से ज्यादा तहसीलों में L-1 (न्यूनतम) आता है। तो उस बिडर की कामर्शियल बिड अगली तहसील हेतु नहीं खोली जावेगी। बिडर को प्रत्येक तहसील हेतु अलग-अलग कामर्शियल बिड अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा एवं तहसीलवार बिड खोलने का क्रम निम्नानुसार होगा।

COMMERCIAL BID

Tender document for survey of land in damoh district using ets.

PRICING SCHEDULE

S.N.	place	Locality	Demarcation fee for the following place & Locality (in Rupees)		
			Upto 0.4 hectare (Base rate)	For every 0.2 hectare above 0.4 ha/base rate	total (price for demarcation of 0.6 ha)
			(A)	(B)	C=A+B
1	Tehseel damoh	Villages/sectors comprising the DHQ			
2	Tehseel damoh (nagar)	All Villages/sectors comprising the DHQ			
3	Batiyagarh	All Villages/sectors			
4	Hata	All Villages/sectors			
5	Jabera	All Villages/sectors			
6	Patera	All Villages/sectors			
7	Patharia	All Villages/sectors			
8	Tendukheda	All Villages/sectors			
Grand total					

2. किसी बिडर द्वारा 50 प्रतिशत तहसीलों का कार्य प्राप्त करना अधिकतम सीमा है। कोई भी बिडर अपनी दरो में न्यूनतम एक तहसील का कार्य भी प्राप्त कर सकता है।


कलेक्टर
जिला दमोह

पृ0 क्रमांक ²⁴⁸ / भू.अभि. / स0अ0भू03 / 2019
प्रतिलिपि:-

दमोह, दिनांक 24/02/2019

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला जनसंपर्क अधिकारी को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।


कलेक्टर
जिला दमोह